अध्याय 2 राज्य में डी.बी.टी. कार्यान्वयन की रूपरेखा



अध्याय 2 <u>राज्य में डी.बी.टी. कार्यान्वयन</u> की रूपरेखा

2.1 पृष्ठभूमि

झारखण्ड राज्य में, सात जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में डी.बी.टी. योजनाओं को सितंबर 2013 में शुरू िकया गया था। राज्य में डी.बी.टी. संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों और मामलों के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए योजना सह वित्त विभाग में एक डी.बी.टी. प्रकोष्ठ का गठन (जुलाई 2016) िकया गया था। यह विभिन्न योजनाओं में डी.बी.टी. के कार्यान्वयन का समन्वय भी कर रहा है। झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने डी.बी.टी. और पीएफएमएस से संबंधित कार्यों के लिए वित्त सह योजना विभाग के तहत एक राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन (अगस्त 2016) िकया था। नवंबर 2017 में, "झारखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लिक्षित वितरण) अधिनियम 2017 अधिनियमित िकया गया, जिसके माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया था।

2.2 डी.बी.टी. के तहत योजनाओं का आच्छादन

राज्य डी.बी.टी. प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 13 विभागों द्वारा डी.बी.टी. मोड के तहत 137 (नकद एवं वस्तु) केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनायें (पिरिशिष्ट-2.1) क्रियान्वित की जा रही थी। ये योजनाएँ मोटे तौर पर केंद्र और राज्य प्रायोजित वृद्धावस्था/विधवा/विकलांगता/आदिम जनजाति/पारिवारिक लाभ पेंशन योजनाओं, वेतन का भुगतान, मुआवजा, अ.जा/अ.ज/पि.वर्ग/अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति, वजीफा, परिवहन भत्ता, अनुरक्षक भत्ता, स्वास्थ्य योजना, साइकिल का वितरण, स्कूल किट, वर्दी, कृषि योजना आदि से संबंधित हैं। वर्ष 2017-21 के दौरान, राज्य सरकार के 12 विभागों दवारा डी.बी.टी. (केवल 110 नकद योजनाओं


बोकारो, हजारीबाग, खूँटी, लोहरदगा, राँची, रामगढ़ और सरायकेला-खरसावाँ

^{5 (1)} अ.जा/अ.ज/पि.वर्ग कल्याणः 22 योजनाएँ; (2) कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालनः 27 योजनाएँ; (3) पेयजल और स्वच्छताः 01 योजना; (4) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याणः 10 योजनाएँ; (5) गृह, कारा और आपदा प्रबंधन (गृह प्रभाग)ः 04 योजनाएँ; (6) ग्रामीण विकास (विकास प्रभाग)ः 04 योजनाएँ; (7) स्कूली शिक्षा और साक्षरता (प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)ः 24 योजनाएँ; (8) पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामलेः 07 योजनाएँ; (9) वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तनः 05 योजनाएँ: (10) नगर विकास और आवासः 03 योजनाएँ (11) श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकासः 03 योजनाएँ; (12) महिला, बाल विकास और समाज कल्याण (सामाजिक सुरक्षा)ः 25 योजनाएँ; (13) खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलेः 02 योजनाएँ

राज्य डी.बी.टी. पोर्टल 2020-21 के अनुसार, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, जो 03 योजनाओं को लागू कर रहा था, लेकिन इन योजनाओं के खिलाफ राज्य डी.बी.टी. पोर्टल में कोई भौतिक और वित्तीय स्थिति नहीं दिखाई गई थी।


में) के माध्यम से ₹ 19,641.88 करोड़ वितरित किए गए जैसा कि नीचे **चार्ट-2.1** में दिखाया गया है:

चार्ट-2.1: वर्ष 2017-21 के दौरान 12 विभागों द्वारा डी.बी.टी. (केवल नकद में) के माध्यम से वितरण



2.3 चयनित विभागों में डी.बी.टी. भुगतान का अनुपात

राज्य में वर्ष 2017-21 के दौरान कुल डी.बी.टी. भुगतान (₹ 19,641.88 करोड़) के विरूद्ध चयनित दो विभागों अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (8 प्रतिशत) एवं महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (44 प्रतिशत) में डी.बी.टी. भुगतान का अनुपात जैसा कि नीचे चार्ट 2.2 में दिखाया गया है:



2.4 राज्य डी.बी.टी. प्रकोष्ठ

भारत सरकार के राज्य डी.बी.टी. प्रकोष्ठ के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार, डी.बी.टी. प्रकोष्ठ केंद्र के साथ मिलकर काम करेगा और डी.बी.टी. प्लेटफॉर्म पर लाभ देने की प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय, उपयोगकर्ता के अनुकूल और समयबद्ध बनाएगा। एक व्यापक दृष्टिकोण का पालन करने के बजाय, राज्य डी.बी.टी. प्रकोष्ठों को अपनी राज्य विशिष्ट जमीनी स्तर की विशेषताओं के अनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया, कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण को अनुकूलित करने की खुली छूट थी। डी.बी.टी. प्रकोष्ठ के तीन घटक हैं जैसे कि राज्य सलाहकार बोर्ड (एसएबी), राज्य डी.बी.टी. समन्वयक और कार्यान्वयन समर्थन स्तर जिसमें प्रकोष्ठ के परिचालन भाग सम्मिलित है। यह एक ऐसे वातावरण में काम करता है जिसमें कई हितधारक शामिल होते हैं और प्रकोष्ठ ऐसे सभी हितधारकों के साथ डी.बी.टी. के लिए योजनाओं के निर्बाध परिवर्तन के लिए समन्वय हेतु उत्तरदायी होगा। ये राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ, विकेंद्रीकृत डी.बी.टी. संरचना के एक भाग के रूप में, सरकारी लाभों के प्रभावी वितरण को प्राप्त करने में योगदान देंगे।

डी.बी.टी. सेल के मुख्य कार्य हैं:

- आधार नामांकन, लाभार्थियों की संख्या, सिक्रय बैंक खातों की संख्या, आधार सीडिंग की दर आदि जैसे कारकों पर विभिन्न विभागों और तकनीकी सहायता टीम से डेटा का संग्रह, इसके अलावा लक्ष्यों के प्रति प्रत्येक विभाग की प्रगति की निगरानी करना।
- राज्य के अधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

प्रधान सचिव (योजना/आईटी/वित्त) या समकक्ष स्तर के अधिकारी को राज्य डी.बी.टी. समन्वयक के रूप में नामित किया जा सकता है जो राज्य के डी.बी.टी. से संबंधित मामलों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

- > डी.बी.टी. प्रगतिशील राज्यों में राज्य/जिला अधिकारियों को मॉडल कार्यों से परिचित कराने के लिए एक्सपोजर विजिट आयोजित करना।
- 🕨 बजट और धन प्रवाह आदि का पता लगाना
- > सर्वोत्तम प्रथाओं पर मानक अध्ययन आयोजित करना

जिन योजनाओं में डी.बी.टी. को लागू किया जाना था, में केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हुए समग्र निगरानी के उद्देश्य से योजना सह वित्त विभाग में डी.बी.टी. प्रकोष्ठ का गठन (ज्लाई 2016) किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- > डी.बी.टी. प्रकोष्ठ ने समय-समय पर संबंधित विभागों से वांछित जानकारी एकत्र नहीं की। यह विभिन्न विभागों द्वारा डी.बी.टी. पोर्टल पर अपलोड किए गए डेटा पर निर्भर रहा जो स्वयं नियमित रूप से अपडेट नहीं किया गया था जैसा कि कंडिका 2.5.2 में चर्चा की गई है। इस प्रकार, प्रकोष्ठ बेहतर निगरानी के लिए किसी विशेष समय पर किसी योजना विशेष की डी.बी.टी. की अद्यतन स्थिति प्रदान करने की स्थिति में नहीं था;
- प्रकोष्ठ द्वारा न तो प्रशिक्षण आयोजित किया गया और न ही राज्य के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का कोई कैलेंडर तैयार किया गया। इस प्रकार, प्रकोष्ठ आवश्यक क्षमता निर्माण की वस्तु-स्थिति से अनिभिज्ञ था।
- > अधिकारियों को उन राज्यों में अपनाई जा रही मॉडल प्रथाओं से परिचित कराने के लिए डी.बी.टी. प्रगतिशील राज्यों में मानदंडों के तहत वांछित कोई परिचयात्मक दौरे आयोजित नहीं किए गए थे। राज्य संचालन में उन प्रथाओं को शामिल करने के लिए रोडमैप विकसित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर कोई मानक अध्ययन नहीं किया गया। इंगित किये जाने पर अपर सचिव, वित्त विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया परन्त कोई कारण नहीं बताया।
- > डी.बी.टी. प्रकोष्ठ डी.बी.टी. पोर्टल से वित्तीय डेटा प्राप्त करता है। इस प्रकार यह डी.बी.टी. से संबंधित योजनाओं के तहत वास्तविक बजटीय प्रावधानों और निधि प्रवाह के बारे में अनिभिज्ञ रहता है।

इस प्रकार, डी.बी.टी. प्रकोष्ठ का कार्य डी.बी.टी. प्रकोष्ठ दिशा-निर्देशों के प्रावधानों से पिछड़ रहा था।

विशेष सचिव, वित्त विभाग, झा.स. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (दिसंबर 2022) कि वह राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आयोजित करने और डी.बी.टी. प्रगतिशील राज्यों में परिचयात्मक दौरे आयोजित करने पर विचार करेगा।

⁸ अधिसूचना सं. 1994/14-07-2016

2.4.1 राज्य सलाहकार बोर्ड

मुख्य सचिव या समकक्ष अधिकारी के अधीन एक राज्य सलाहकार बोर्ड (एसएबी) को राज्य स्तरीय डी.बी.टी. प्रकोष्ठ के समानांतर निकाय के रूप में गठित किया जाना था। इस निकाय की प्रमुख भूमिका कार्यकारी निकाय को समग्र सलाह और परामर्श प्रदान करना है। चूँकि यह इकाई सभी हितधारकों के प्रतिनिधित्व को देखती है, इसकी सलाह यह सुनिश्चित करेगी कि सेल के संचालन अपवर्जनात्मक नहीं हैं और डी.बी.टी. के विभिन्न समर्थकों के हितों के साथ तालमेल रखते हैं। यह निकाय तिमाही में एक बार या किसी अन्य नियमित अंतराल पर मिल सकता है, जैसा कि उचित समझा जाय।


हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि एसएबी का गठन अगस्त 2016 में मुख्य सचिव के अधीन किया गया था लेकिन मार्च 2021 तक कोई बैठक नहीं हुई थी। डी.बी.टी. प्रकोष्ठ द्वारा यह कहा गया था कि बैठकों के लिए प्रस्ताव पेश किए गए थे लेकिन अनिर्णीत पड़े रहे। इस प्रकार, राज्य में एसएबी अक्रियाशील के समान था और वह अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ था। लेखापरीक्षा ने छात्रवृत्ति और एन.एस.ए.पी. योजनाओं के निष्पादन में विभिन्न विसंगतियां देखीं जिन्हें इस प्रतिवेदन के अध्याय 3, 4 और 5 के तहत दर्शाया गया है, जिन्हें शीर्ष संस्था के समग्र निगरानी/मार्गदर्शन के माध्यम से कम/रोका जा सकता था।

विशेष सचिव, वित्त विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (दिसंबर 2022) कि एसएबी की पहली बैठक 8 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थी।

2.5 डी.बी.टी. योजनाओं की पहचान और आधार मैपिंग

भारत सरकार के निर्देशों (जून 2016) के अनुसार, योजना एवं वित्त विभाग, झा. स. ने सभी विभागों को निर्देश (अगस्त 2016) जारी किया कि 31 दिसंबर 2016 तक सभी सरकारी योजनाओं में डी.बी.टी. लागू किया जाय। विभाग के भीतर डी.बी.टी. से संबंधित योजनाओं की पहचान करने और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर आधार के साथ लाभार्थियों और बैंक खातों आदि की मैपिंग करके राज्य डी.बी.टी. पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने का भी निर्देश दिया। डी.बी.टी. पोर्टल पर योजनाओं के ऑनबोर्डिंग की स्थित कंडिका 2.5.2 में निर्दिष्ट की गयी है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं के तहत मौजूदा लाभार्थियों की आधार सीडिंग की समग्र स्थिति 49 और 75 प्रतिशत के बीच थी जैसा कि नीचे **चार्ट: 2.3** में दिखाया गया है:



चार्ट 2.3: 2017-21 के दौरान लाभार्थियों की आधार सीडिंग की स्थिति

2.5.1 एन.एस.ए.पी. और छात्रवृत्ति योजना में लाभार्थियों की आधार मैपिंग

एन.एस.ए.पी. योजना के तहत लाभार्थियों की आधार मैपिंग की स्थिति नीचे तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका 2.1: मार्च 2021 तक राज्य में विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों की आधार मैपिंग दर्शाने वाला विवरण:

एन.एस.ए.पी. के अवयव	लाभार्थियों की संख्या	आधार मैप किए गए लाभार्थी	मैपिंग में कमी (प्रतिशत में)
केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस)			
आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	10,16,590	8,43,789	1,72,801 (17)
आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.	2,68,537	2,37,358	31,179 (12)
आई जी एन डी पी एस	26,482	20,503	5,979 (23)
राज्य प्रायोजित योजनाएँ (एसएसएस)			
एम.एम.एस.ओ.ए.पी.वाई.	4,70,229	3,26,170	1,44,059 (31)
एम.एम.आर.वी.एस.पी.वाई.	1,80,723	1,33,826	46,897 (26)
एस.वी.एन.एस.पी.वाई.	1,56,049	54,551	1,01,498 (65)
एम.एम.आर.ए.जे.जे.पी.वाई.	56,022	41,553	14,469 (26)

तालिका 2.1 से देखा जा सकता है कि एन.एस.ए.पी. के तहत मार्च 2021 तक लाभार्थियों की आधार मैपिंग में कुल कमी 12 से 65 प्रतिशत के बीच थी। केंद्रीय पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों की आधार मैपिंग में कमी 12 से 23 प्रतिशत के बीच थी जबिक राज्य पेंशन योजनाओं के मामले में यह 26 से 65 प्रतिशत थी। यद्यपि प्रमुख सिचव/निदेशक, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से सभी भुगतान सक्षम करने के लिए सभी सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा (एडीएसएस) को आधार के साथ सभी लाभार्थियों और उनके बैंक खातों की मैपिंग के संबंध में निर्देश जारी (2017-21) किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि लाभार्थी के आधार नंबर की अनुपलब्धता, केवाईसी के माध्यम से बैंक खाते की मैपिंग न होने, निष्क्रिय आधार, लाभार्थी की उंगलियों के माध्यम से बायोमेट्रिक अपडेशन नहीं होने के कारण सभी लाभार्थियों के लिए मैपिंग पूरी नहीं की गई थी। इस प्रकार, डी.बी.टी. के लिए एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के तहत आधार आधारित भुगतान के कार्यान्वयन का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पेंशन अभी भी डी.बी.टी. के साथ-साथ एनईएफटी के माध्यम से भी प्रदान की जा रही थी।

अ.ज.जा., अ.जा., अल्पसंख्यक एवं पि.व. कल्याण विभाग द्वारा माँगे जाने पर (अगस्त 2020 से जुलाई 2022 के मध्य) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2017-21 के दौरान आधार मैपिंग की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे लाभार्थियों की मैपिंग की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका।

विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2023) कि आधार मैपिंग एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए लाभार्थी को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए संबंधित बैंक की शाखा में शारीरिक रूप से उपस्थित होना होता है। इस संबंध में समाचार पत्रों में नियमित रूप से सूचनाएं प्रकाशित की जा रही थी, पंचायत भवनों/प्रखंड कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगाये जा रहे थे और जनवरी 2023 तक 92 प्रतिशत लाभार्थियों की मैपिंग की जा च्की थी।

2.5.2 राज्य डी.बी.टी. पोर्टल

राज्य डी.बी.टी. पोर्टल को 2017 में भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल यानी डी.बी.टी. भारत पोर्टल की तर्ज पर लॉन्च किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

> बारह विभागों के डी.बी.टी. से संबंधित 29 (केंद्र प्रायोजित) और 33 (राज्य) योजनाएँ डी.बी.टी. पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग के लिए योजनाओं के ई-कोड के जनन लंबित होने और कुछ योजनाओं को भारत सरकार द्वारा क्रमशः केंद्रीय मंत्रालय और केंद्रीय क्षेत्र के तहत हटाने/सूचीबद्ध करने के कारण राज्य डी.बी.टी. पोर्टल पर शामिल नहीं किया गया था।

⁹ अपने ग्राहक को जानो

े वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य डी.बी.टी. पोर्टल पर ऑन बोर्ड डी.बी.टी. योजनाओं की भौतिक और वित्तीय स्थिति की जाँच से पता चला कि 137 केंद्र/राज्य प्रायोजित योजनाओं में से 94 के विरूद्ध लाभार्थियों की कुल संख्या, आधार से जुड़े लाभार्थियों, निधि अंतरण, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निधि अंतरण आदि के बारे में जानकारी नहीं दिखाई गई थी। यह दर्शाता है कि संबंधित विभागों द्वारा पोर्टल को अद्यतन नहीं किया जा रहा है और डी.बी.टी. पोर्टल को केंद्रीय डी.बी.टी. पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं किया गया था (मार्च 2022)।

विशेष सचिव, वित्त विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (दिसंबर 2022) कि वास्तविक समय डेटा को कैप्चर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के लाभार्थियों के एक "एकीकृत डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म" को स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि निष्क्रिय डी.बी.टी. योजनाओं को हटाने के साथ 49 राज्य योजनाओं की पहचान की गई और उन्हें राज्य डी.बी.टी. पोर्टल पर जोड़ा गया। इसके अलावा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित किया गया था, 12 केंद्रीय योजनाओं जिन्हें अभी तक ऑनबोर्ड नहीं किया गया था, एक योजना ऑनबोर्ड की गई थी, एक को भारत सरकार द्वारा छूट दी गई, चार योजनाओं की छूट के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था जबकि प्रशासनिक विभागों को शेष छः योजनाओं को ऑनबोर्ड करने के लिए निर्देशित किया गया था।

2.6 लाभार्थियों का सामान्य और एकीकृत डेटाबेस

डी.बी.टी. मिशन भारत सरकार ने बेहतर निगरानी के लिए लाभार्थियों के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण¹⁰ के लिए निर्देश जारी (फरवरी 2020) किया। तद्नुसार, योजना सह वित्त विभाग ने डी.बी.टी. के क्रियान्वयन में सुधार एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थियों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु लाभार्थियों का सामान्य एवं एकीकृत डाटाबेस तैयार करने का निर्णय (दिसम्बर 2020) लिया। यह भी निर्णय लिया गया (जनवरी 2021) कि सामान्य डेटाबेस को पीएफएमएस और विभिन्न विभागों द्वारा अलग रूप से संचालित अन्य सभी पोर्टलों को लाभार्थियों के सामान्य डेटाबेस में एकीकृत किया जाए।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2021 तक लाभार्थियों के सामान्य और एकीकृत डेटाबेस की तैयारी अधूरी रही क्योंकि सामान्य डेटाबेस के साथ पोर्टलों का एकीकरण भी लंबित रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, अपर सचिव, वित्त विभाग झा.स. ने उत्तर (जुलाई 2022) दिया कि डी.बी.टी. योजनाओं के तहत लाभार्थियों के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के लिए अगस्त 2021 में एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया

¹⁰ लाभार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदनों का कम्प्यूटरीकृत प्रसंस्करण और लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक भगतान

गया था, जिसने आगे सभी डी.बी.टी. योजनाओं के लिए एक एकीकृत पोर्टल/डैशबोर्ड विकसित करने का सुझाव दिया। सुझाव के फलस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग को लिगेसी डाटा लेकर एकीकृत पोर्टल/डैशबोर्ड के विकास के लिए एक अलग कार्यक्षेत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया है (अप्रैल 2022) लेकिन जुलाई 2022 तक यह अभी भी प्रगति पर था। इस प्रकार, लाभार्थियों के सामान्य और एकीकृत डेटाबेस तैयार करने में देरी के कारण, डी.बी.टी. के कार्यान्वयन में सुधार करने और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की प्रभावी निगरानी करने का इसका लक्ष्य अप्राप्त रहा।

2.7 पीएफएमएस का क्रियान्वयन

सार्वजिनक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एक वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसे लेखा महानियंत्रक (सीजीए), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जाता है। पीएफएमएस को भारत सरकार की सभी योजनागत योजनाओं के तहत जारी निधि पर नज़र रखने और कार्यक्रम क्रियान्वयन के सभी स्तरों पर व्यय की वास्तविक समय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से प्रारंभ (2009) किया गया था। इसके बाद, सभी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सीधे भुगतान को कवर करने के लिए दायरा बढ़ाया गया। पीएफएमएस प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत भुगतान, लेखांकन और रिपोर्टिंग का भी चैनल है।

इसके अलावा, व्यय विभाग, भारत सरकार ने अनिवार्य किया (अप्रैल 2017) कि सभी केंद्रीय और राज्य विभागों को प्रासंगिक योजना कोड के साथ डी.बी.टी. लेनदेन शुरू करना चाहिए जिसे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पर लाया जाना था। योजना सह वित्त विभाग, झा.स. ने राज्य योजना/केंद्रीय प्रक्षेत्र की योजनाओं को केंद्रीय सहायता के तहत सभी योजनाओं में पीएफएमएस के क्रियान्वयन के लिए निर्देश (अगस्त 2016, फरवरी 2018 और दिसंबर 2020) जारी किए। हालाँकि, पीएफएमएस के साथ सभी योजनाओं का एकीकरण मार्च 2021 तक आंशिक रूप से पूरा हुआ था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कुल भुगतान (₹ 5884.48 करोड़) का 37 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया था, जबिक 2020-21 में यह कुल भुगतान (₹ 11290.47 करोड़) का 98 प्रतिशत था। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में एनईएफटी/ आरटीजीएस/ एपीबी/एईपीएस शामिल था लेकिन प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम के संबंध में अलग-अलग आँकड़े लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे, इसलिए पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान की वास्तविक मात्रा का पता नहीं लगाया जा सका।

अपर सचिव, वित्त विभाग, झा.स. ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि जुलाई 2021 से प्रभावी पीएफएमएस के कार्यान्वयन की संशोधित प्रक्रिया¹¹ प्रगति पर है।

आगे, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, योजना सह वित्त विभाग भारत सरकार ने पीएफएमएस के बेहतर कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर पीएफएमएस कार्यालयों का गठन करने का निर्णय लिया (जुलाई 2020)। प्रारंभ में, इस उद्देश्य के लिए 12 जिलों का चयन किया गया था; हालाँकि, इस संबंध में मार्च 2021 तक कोई प्रगति नहीं देखी गई थी।

इंगित किये जाने पर योजना सह वित्त विभाग झा.स. ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्देश दिया (जून 2021) कि जिला पी.एफ.एम.एस. कार्यालय राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से स्थापित किये जाने हैं। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2022 तक जिला पीएफएमएस कार्यालयों की स्थापना के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

2.8 डी.बी.टी. के क्रियान्वयन के बाद निधि की बचत

डी.बी.टी. सरकार की ओर से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे लाभ की बेहतर और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने, लीकेज को दूर करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए है।

डी.बी.टी. प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जाँच से पता चला कि संबंधित विभागों द्वारा चार योजनाओं (एन.एस.ए.पी., केरोसिन वितरण, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानि मनरेगा और पीडीएस राशन वितरण) के तहत 6.17 लाख नकली/छद्म/अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई थी जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2021 तक लाभार्थियों के डिजिटलीकरण और डी.बी.टी. की शुरुआत के कारण ₹ 508.20¹² करोड़ की बचत हुई। नकली/छद्म/अपात्र लाभार्थी एवं बचतों के संबंध में अन्य योजनाओं की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

छात्रवृत्ति और एन.एस.ए.पी. योजनाओं की लेखापरीक्षा के दौरान, डुप्लीकेट/ छद्म/अपात्र लाभार्थियों के मामले पाए गए (अध्याय-3 और 4 के तहत दर्शित) जो दर्शाता है कि राज्य सरकार के विभागों द्वारा किए गए क्रियान्वयन में अभी भी कमी थी।

¹¹ पीएफएमएस की संशोधित प्रक्रिया (23.03.2021 को जारी भारत सरकार का पत्र) के तहत प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी जो बदले में राज्य स्तर में प्रत्येक सीएसएस के लिए एक वाणिज्यिक बैंक में एक एकल नोडल खाता खोलेगी जिसका उपयोग प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा किया जाएगा। मंत्रालय/विभाग प्रत्येक सीएसएस के लिए केंद्रीय हिस्सा राज्य सरकार के खाते में जारी करेंगे ताकि आगे एसएनए खाते में जारी किया जा सके। एसएनए और आईए अनिवार्य रूप से पीएफएमएस का उपयोग करेंगे या पीएफएमएस के साथ अपने सिस्टम को एकीकृत करेंगे।

¹² एन.एस.ए.पी. और राज्य पेंशन योजनाएँ (₹ 99.52 करोड़), मनरेगा (₹ 203.4 करोड़), डी.बी.टी. केरोसिन (₹ 5.27 करोड़), पीडीएस राशन (₹ 200 करोड़)